UPAU010008442026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया

उपस्थितः–**पारूल जैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा)** J.O. Code UP–2391

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–**310/2026**

विवेक दुबे उर्फ टीनू पुत्र रमेशचन्द्र दुबे निवासी ग्राम कंचौसी गांव थाना दिबियापुर जिला औरैया।

..... **प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**अभियोजन पक्ष**

मुकदमा अपराध संख्या–197/2022
धारा–323, 452, 308 भा.दं.सं.
थाना–दिबियापुर, **जनपद** औरैया

दिनांकः 13.03.2026

1. प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **310/2026** प्रार्थी/अभियुक्त **विवेक दुबे उर्फ टीनू** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या **197/2022** अन्तर्गत धारा **323, 452, 308 भा.दं.सं.**, थाना **दिबियापुर**, जनपद औरैया के मामले में अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि शिवम दुबे पुत्र विनोद दुबे निवासी कंचौसी गांव थाना दिबियापुर का रहने वाला है। घटना शाम 5 बजे की लगभग है। उसके घर के बाहर उसकी मैस बंधी हुई थी उसके मुंह पर विवेक दुबे पुत्र रमेश दुबे ने मोटर साइकिल चढ़ा दिया जब उसने मना किया तो उन लोगों ने विकास दुबे, अमित दुबे, विवेक दुबे, रमेश दुबे एकराय होकर उसको घर में घुसकर मारापीटा जब उसकी पत्नी प्रतिमा दुबे बचाने आई उसे धक्का देकर विवेक दुबे जो हाथ में डण्डा लिये था उसके सिर में मार कर चोट पहुँचाई और सिर फोड़ दिया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह पूर्णतया निर्दोष है तथा उसका नाम एफ.आई.आर. में गलत तथ्य दर्शाकर अंकित कराया गया है। कथित घटना पूर्णतया गलत तथ्यों पर आधारित है चूंकि वादी मुकदमा परिवार के नाते से उसका भतीजा लगता है। पारिवारिक बंटवारे के कारण वह व उसके परिवार से रंजिश मानता है। उसका वादी से उपरोक्त घटना दिनांक 11.05.2022 को समय 05 बजे जो मुकदमा लिखाया है वह असत्य है जबकि सत्यता यह है कि वह कानपुर नगर से पिता की दबाई लेकर वापस घर आया तो वादी मुकदमा की भैस खडन्जे पर बंधी होने के कारण कीचड व गोबर होने के कारण मोटर साइकिल फिसल गयी जिससे वह मोटर साइकिल सहित गिर गया और चोट आ गयी थी, साथ में पिता के लिये लाई गई दबाईयां व इंजेक्शन टूट गये थे जिस पर उसने कहा जब सफाई नहीं करनी है तो भैंस क्यो खडन्जे में बांधते हो जिस पर वादी मुकदमा नाराज हो गया और उससे कहासुनी हो गयी थी जिसमें उसकी ओर से मु0अ0सं0–0212/2022 सरकार बनाम विनोद कुमार आदि धारा–147, 323, 504, 506, 452 आई०पी०सी० दिनांक 17.05.2022 समय 18:53 बजे दर्ज कराई गयी थी। विवचनाधिकारी द्वारा कथित घटना के सम्बन्ध में उसके मुहल्ले के लोगों के कोई बयान केश डायरी में अंकित नहीं किये गये है। न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित आता रहेगा व अपनी जमानत देने को भी तैयार है। उसका मुकदमा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ विचाराधीन है। जिसकी जानकारी उसको पूर्व में नहीं थी उसके द्वारा दिनांक 24.05.2022 के गांव के लोगों द्वारा दिये गये शपथपत्र पुलिस अधीक्षक महोदय को रजिस्टर्ड डॉक द्वारा भेजे गये थे। किन्तु चार्जसीट में विवेचनाधिकारी द्वारा वह शामिल नहीं किये गये है। वह न्यायालय के जमानत आदेश का कतई दुरुपयोग नहीं करेगा, न ही वादी मुकदमा से किसी भी

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.03.13 16:23:10 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya

तरह की बात करेगा, न ही कोई ऐसा कृत्य करेगा जिससे वादी को कतई नुकसान हो। उसकी जमानत में माननीय उच्चतम् न्यायालय की विधि व्यवस्था Satendra Kumar Antil v/s Central Bureau of Investigation Special Leave petition (CRL) No–5191/2021 के प्रावधान लागू होते है। न्यायालय द्वारा उसकी अग्रिम जमानत स्वीकार होना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उसकी अग्रिम जमानत याचिका दौरान विचारण मुकदमा उचित प्रतिभू पर स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी है।

4. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रार्थी के घर के बाहर भैस बंधी हुई थी उसके मुंह पर जब अभियुक्त को मोटर साईकिल चढ़ा देने से मना किया तो अभियुक्त अन्य अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर उसके घर में घुसकर उसे मारा पीटा जब उसकी पत्नी प्रतिमा दुबे बचाने आई उसे धक्का देकर हाथ में डन्डा से मारकर उसके सिर में चोट पहुंचाई और सिर फोड़ दिया। अपराध की गम्भीरता को देखते हुये अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाना चाहिए।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रार्थी के घर के बाहर भैस बंधी हुई थी उसके मुंह पर जब अभियुक्त को मोटर साईकिल चढ़ा देने से मना किया तो अभियुक्त अन्य अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर उसके घर में घुसकर मारने पीटने तथा उसकी पत्नी प्रतिमा दुबे जब उसे बचाने आई तो उसे धक्का देकर हाथ में डन्डा से मारकर उसके सिर में चोट पहुंचाने और सिर फोड़ देने का आरोप है। इस प्रकरण में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है तथा सभी धाराओं में अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है। पत्रावली पर चोटिल की चिकित्सक आख्या मौजूद है जिसमें Skull में फ्रैक्चर बताया गया है। चोट गम्भीर प्रवृत्ति की है। चोटिल को छः चोटे आना बताया है। 1. L/w of size 4cmx0.5cm x scalp deep present on occipital region 12cm posteriosuperiorly from Lt. Earpinna. Clotted blood present margins is irregular (Kuo) 2. Abraded contusion of size 2.5cmx1cm present Rt. Side face 3cm posteriely from Lt eye angle. 3. Redish contusion of size 3cmx2cm present on Lateral aspect of neck. 4. Abraded contusion of size 4cmx1cm present on posterier aspect of Rt forearm 15cm below from elbow joint. 5. Redish Contusion of size 7cmx2cm present on front of Rt thigh 12cm above from knee joint. 6. c/o pain on Rt. Side of face x Head. चिकित्सक की राय में चोटे किसी सख्त कुन्दाला से आना बताया है चोटे साधारण तथा ताजी बतायी गयी है। अभियुक्त का पूर्व में आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। सहअभियुक्त रमेशचन्द्र की जमानत पूर्व में दिनांक 31.01.2026 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्त द्वारा विचारण में सहयोग नहीं किया जा रहा हो। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. एवं अन्य एस.एल.पी. क्रिमिनल नम्बर 5191/2021** के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **विवेक दुबे उर्फ टीनू** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या **197/2022** अन्तर्गत धारा **323,452,308 भा.दं.सं.**, थाना–**दिबियापुर** जनपद औरैया के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **310/2026** न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **पचास**

हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक जमानती सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किया जाए तथा अभियुक्त निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा–

(i)) कि वह उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

(ii) कि वह न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iii) कि वह न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि को प्रस्तुत होगा तथा विचारण में विलम्ब नहीं करेगा।

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया